

डिप्लोमा संकाय के प्रथम / द्वितीय / तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन
छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र के सत्यापन हेतु बिन्दु

1. पाठ्यक्रम का नाम—

इंजीनियरिंग डिप्लोमा/मैनेजमेन्ट हेतु –

Polytechnic-Diploma

पी0डी0सी0ए0 हेतु –

Post Graduate Diploma(Group 2)

(i) वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रान्च –

इंजीनियरिंग डिप्लोमा हेतु –Polytechnic-Diploma

मैनेजमेन्ट हेतु – Polytechnic-P.G./Diploma/Others two years

पी0डी0सी0ए0 हेतु – P.G. Diploma in Computer Application

(ii) पाठ्यक्रम का वर्ष – 1, 2 अथवा 3

2. पाठ्यक्रम की पात्रता—

1– इंजी0डिप्लोमाहेतु

–High School

2– मैनेजमेन्ट डिप्लोमा हेतु

–Inter

3– पी0डी0सी0ए0 हेतु

–No one

3. क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में आपका प्रवेश कक्षा 12के अंकों/मेरिट के आधार पर हुआ है—NO

4. वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन क्रमांक को नीचे दिये गये प्रारूप के अनुसार अवश्य भरें अन्यथा

उनका आवेदन अग्रेसित नहीं होगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी :

DIP– प्रथम वर्ष में प्रवेश का वर्ष – ब्रान्च कोड – फोलियो नम्बर

ब्रान्च कोड निम्न प्रकार है—

ब्रान्च का नाम	ब्रान्च कोड
1- Civil Engineering	CE
2- Civil (C.T.)	CT
3- Civil (P.H.E.)	PHE
4- Electronics Engineering	EL
5- Electrical Engineering	EE
6- Instrumentation & Control	IC
7- Mechanical (Automobile)	MA
8- Mechanical (Power Plant)	MPP
9- Mechanical (Production)	MPR
10- Mechanical (Tool)	MT
11- Mechanical (Refrigeration & Air Condi.)	MR
12- Mechanical (T.W.E.)	MTW
13- Plastic Technology	PL
14- Material Management	MM
15- Commercial Practice	CP
16- Marketing Management	MKT
17- P.D.C.A.	PDCA

उदाहरण : यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम वर्ष सिविल इंजीनियरिंग का छात्र है तो उसका पंजीयन क्रमांक इस प्रकार होगा—

DIP17CE20 जहाँ छात्र का फोलियो नम्बर 20 है।

5 पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रकार – फ्री सीट

6 पाठ्यक्रम का प्रकार – नियमित

7 पाठ्यक्रम का वर्ष – प्रथम / द्वितीय / तृतीय

(महेश चन्द्र)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति समिति

डिप्लोमा छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन में भरे जाने वाले शुल्क का विवरण

1. अनुमोदित वार्षिक नानरिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क—
प्रथम वर्ष ₹0 19840/- , द्वितीय वर्ष ₹0 19840/- एवं तृतीय वर्ष ₹0 17740/-
2. सभी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक **Tuition Fee** (शिक्षण शुल्क)— ₹0 14430/-
3. छात्र द्वारा जमा धनराशि— (सामान्य, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने संस्थान की पूर्ण शुल्क जमा किया है)
अ— प्रथम वर्ष — ₹0 19840/- , द्वितीय वर्ष — ₹0 19840/-
एवं तृतीय वर्ष — ₹0 17740/-
ब— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी कक्षाओं के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त हुई है, के लिए आंशिक शुल्क — ₹0 840/-
4. अवशेष धनराशि –
 - (क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के सामान्य वर्ग, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने संस्थान की पूर्ण शुल्क जमा की है – ₹0 (शून्य)
 - (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त हुई है—
प्रथम एवं द्वितीय वर्ष — ₹0 19000/- अन्तिम वर्ष हेतु ₹0 16900/-

(महेश चन्द्र)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति समिति

सत्र 2018–2019 हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले
संलग्नकों का विवरण

सामान्य एवं अल्पसंख्यक वर्गके छात्र/छात्राओं हेतु

(निर्धारित संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे)

- 1— सभी प्रविष्टियों को निर्देशानुसार पूर्णरूपेण भरा एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ युक्त (फोटोग्राफ के नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना नितान्त आवश्यक है), तथा छात्र एवं उसके माता/पिता (माता/पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक) द्वारा हस्ताक्षरित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** आय प्रमाण पत्र तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** निवास प्रमाण पत्र तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 4— पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
- 5— स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। केवल प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री द्वारा प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों हेतु।
- 6— यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथपत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- 7— निर्धारित प्रारूप पर छात्र द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 8— निर्धारित प्रारूप पर छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 9— छात्र/छात्रा के वर्षमान सत्र में प्रवेश की शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- 10— विगत वर्षों की शुल्क रसीद की छायाप्रति (द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए)
- 11— यदि छात्र हास्टल में आवासित है तो हास्टल हेतु प्रदान की गई शुल्क रसीद एवं प्रमाण पत्र की प्रति।
- 12— छात्र/छात्रा द्वारा बैंक में खोले गये आधार से लिंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति।
- 13— छात्र/छात्रा के वैध परिचय पत्र की फोटो प्रति।
- 14— छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) के नौकरी की दशा में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 15— विगत वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त धनराशि के सत्यापन हेतु छात्र/छात्रा की अद्यतन प्रिन्ट की गयई पासबुक की फोटो प्रति जिसमें उक्त धनराशि प्रदर्शित हो रही हो (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों हेतु)।
- 16— छात्र के **आधार कार्ड की** फोटो प्रति।
- 17— माता पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति।

(महेश चन्द्र)
नोडल अधिकारी

सत्र 2018–2019 हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले
संलग्नकों का विवरण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं हेतु

(निर्धारित संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे)

- 1— सभी प्रविष्टियों को निर्देशानुसार पूर्णरूपेण भरा एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ युक्त (फोटोग्राफ के नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना नितान्त आवश्यक है), तथा छात्र एवं उसके माता / पिता (माता / पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक) द्वारा हस्ताक्षरित छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** आय प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** जाति प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** निवास प्रमाण पत्र तथा उसके इण्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 5— पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
- 6— स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। केवल प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री द्वारा प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों हेतु।
- 7— यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथपत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- 8— निर्धारित प्रारूप पर छात्र द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 9— निर्धारित प्रारूप पर छात्र / छात्रा के माता / पिता (माता / पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 10— छात्र / छात्रा के वर्षमान सत्र में प्रवेश की शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- 11— विगत वर्षों की शुल्क रसीद की छायाप्रति (द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए)
- 12— यदि छात्र हास्टल में आवासित है तो हास्टल हेतु प्रदान की गई शुल्क रसीद एवं प्रमाण पत्र की प्रति।
- 13— छात्र / छात्रा द्वारा बैंक में खोले गये आधार से लिंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति।
- 14— छात्र / छात्रा के वैध परिचय पत्र की फोटो प्रति।
- 15— छात्र / छात्रा के माता / पिता (माता / पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) के नौकरी की दशा में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 16— विगत वर्ष में छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त धनराशि के सत्यापन हेतु छात्र / छात्रा की अद्यतन प्रिन्ट की गयई पासबुक की फोटो प्रति जिसमें उक्त धनराशि प्रदर्शित हो रही हो (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों हेतु)।
- 17— **आधार कार्ड की** फोटो प्रति ।
- 18— माता पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति।

(महेश चन्द्र)
नोडल अधिकारी

सत्र 2018–2019 हेतु छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले
संलग्नकों का विवरण
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु

(निर्धारित संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे)

- 1— सभी प्रविष्टियों को निर्देशानुसार पूर्णरूपेण भरा एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ युक्त (फोटोग्राफ के नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना नितान्त आवश्यक है), तथा छात्र एवं उसके माता/पिता (माता/पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक) द्वारा हस्ताक्षरित छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** आय प्रमाण पत्र तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** जाति प्रमाण पत्र (प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु 31 मार्च 2018 के बाद का निर्गत) तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटर जनित **वैध** निवास प्रमाण पत्र तथा उसके इंटरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 5— पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
- 6— स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। केवल प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री द्वारा प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों हेतु।
- 7— यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथपत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- 8— निर्धारित प्रारूप पर छात्र द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 9— निर्धारित प्रारूप पर छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 10— छात्र/छात्रा के वर्मान सत्र में प्रवेश की शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- 11— विगत वर्षों की शुल्क रसीद की छायाप्रति (द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए)
- 12— यदि छात्र हास्टल में आवासित है तो हास्टल हेतु प्रदान की गई शुल्क रसीद एवं प्रमाण पत्र की प्रति।
- 13— छात्र/छात्रा द्वारा बैंक में खोले गये आधार से लिंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति।
- 14— छात्र/छात्रा के वैध परिचय पत्र की फोटो प्रति।
- 15— छात्र/छात्रा के माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) के नौकरी की दशा में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 16— विगत वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त धनराशि के सत्यापन हेतु छात्र/छात्रा की अद्यतन प्रिन्ट की गयई पासबुक की फोटो प्रति जिसमें उक्त धनराशि प्रदर्शित हो रही हो (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों हेतु)।
- 17— **आधार कार्ड की** फोटो प्रति ।
- 18— माता पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति।

(महेश चन्द्र)
नोडल अधिकारी

छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता / आवश्यकनिर्देश

- 1— संस्थान में अध्ययनरत ऐसे समस्त छात्र/छात्रा जिनके माता—पिता/ अभिभावक की समस्त श्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपया दो लाख (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 2.5 लाख) तक है, वे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- 2— छात्र/छात्रा का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- 3— अल्प संख्यक वर्ग के छात्र केवल अल्प संख्यक वर्ग में ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु आवेदन करेंगे।
- 4— छात्र के आनलाइन आवेदन पूर्ण करने के तीन कार्यदिवसों में उनके आवेदन में हुई बृटियों (मुख्य रूप से आय, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक की प्रविष्टि में तथा हाईस्कूल के रोलनम्बर की प्रविष्टि में हुई बृटि से सम्बन्धित बृटि) को एन0आई0सी0 द्वारा उनके छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित कर दिया जायेगा तदुपरान्त यदि कोई संशोधन हो तो उसे संशोधित करने के उपरान्त ही संस्थान में जमा करने हेतु प्रिन्ट निकालें।
- 5— विद्यार्थी अपना आधार संख्या बैंक में जाकर अपने खाते से लिंक अनिवार्य रूप से करा लें अन्यथा उनके खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि हस्तान्तरित नहीं हो पायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।
- 6— यदि कोई छात्र संस्थान में प्रवेश लेने से पूर्व अन्यत्र अध्ययनरत था तथा उस पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर यहाँ प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है तो उसे संस्थान के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं प्राप्त होगी ऐसे छात्र यदि वे अपना अध्ययन जारी रखते हैं तो उन्हें पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में नये छात्र के रूप में उक्त सुविधा प्राप्त होगी।
- 7— जो छात्र गत वर्ष/वर्षों में किसी अन्य पाठ्यक्रम में संस्थान में अध्ययनरत थे तथा इस वर्ष पुनः प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लिये हैं उन्हें प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं प्राप्त होगी तथा वे आवेदन भी नहीं करेंगे, जॉच में पाये जाने पर ऐसे छात्रों पर विधिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि वे अपना अध्ययन जारी रखते हैं तो उन्हें पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में नये छात्र के रूप में उक्त सुविधा प्राप्त होगी।
- 8— ऐसे विद्यार्थी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा के पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें उदाहरणार्थ यदि कोई छात्र किसी ब्रान्च से डिप्लोमा/बी0टेक करने के उपरान्त किसी अन्य ब्रान्च से डिप्लोमा/बी0टेक करने लगे।
- 9— यदि किसी छात्र को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त होती है तथा वह उक्त पाठ्यक्रममें सत्र के बीच में अध्ययन छोड़ देता है, वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है अथवा परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करता है तथा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है एवं 75 प्रतिशत उपस्थित दर्ज नहीं करता है, तो उसे प्रदान की गई धनराशि समाज कल्याण विभाग को वापस करनी होगी।
- 10— संस्थान में छात्र/छात्रा की पूर्ण उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- 11— यदि छात्र/छात्रा की किसी प्रकार की अनुशासननीति में संलिप्तता पाई जाती है तो उसे प्राप्त धनराशि को वापस करना होगा तथा भविष्य में वह छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा से वंचित हो जायेगा।
- 12— उसी कक्षा में पुनः प्रवेश (**Re-Admission**) लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी तथा न ही वे आवेदन करें, जॉच में पाये जाने पर ऐसे छात्रों पर विधिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 13— छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाये जाने पर उनके आवेदन संस्थान स्तर पर ही Reject कर दिये जायेंगे उन्हें किन्हीं भी परिस्थिति में अग्रेसिट नहीं किया जायेगा।
- 14— जिन विद्यार्थियों ने गत वर्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन किया था वे इस वर्ष नवीनीकरण का ही आवेदन करेंगे Fresh के रूप में उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगातथा निरस्त कर दिया जायेगा। जिन विद्यार्थियों ने गत वर्ष आवेदन नहीं किया था वे इस वर्ष नये छात्र के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
- 15— गत वर्ष **Ex-Student**के रूप में उत्तीर्ण छात्र ही Fresh के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
- 16— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की दशा में संस्थान द्वारा दी गयी सूचना के 15 दिवसों के अन्दर संस्थान की पूर्ण शुल्क जमा करनी होगी।
- 17— आय व जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जाने पर छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस करनी होगी। यदि कोई छात्र ऐसा करने में असफल होता है तो विभाग दी गयी उक्त धनराशि की राजस्व देयों की भौति वसूली करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 18— कोई भी अनिमित्तता पाये जाने पर उम्मीद दर्जना दर्जना दर्जना की राजस्व देयों की भौति वसूली करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 19— छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियों भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं अवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- 20— छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या के गलत अंकन पर सुधार हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गयी है अतः छात्र खाता संख्या भरते समय विशेष सावधानी रखें।
- 21— किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- 22— छात्र/छात्रा द्वारा गलत घोषणा देने पर उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी।
- 23— नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए नामांकन संख्या भरने की आवश्यकता नहीं है।
- 24— Fee Waver स्कीम के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ देय नहीं है अतः वे छात्र आवेदन न करें।

(महेश चन्द्र)

समक्ष

छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा पत्र (रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर)
(सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए)

निदेशक,
आई०ई०आर०टी०,
इलाहाबाद।

मैं (छात्र/छात्रा का नाम) _____ पुत्र/पुत्री _____
जो ग्राम _____ मुहल्ला _____ पोस्ट _____
थाना _____ तहसील _____ जनपद _____
का निवासी हूँ निम्नलिखित बयान करता हूँ-

- 1— यह कि मैं ग्राम _____ मुहल्ला _____ पोस्ट _____
थाना _____ तहसील _____ जनपद _____
का स्थाई निवासी हूँ (आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)।
- 2— यह कि उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में
_____ जाति का हूँ (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है) (केवल
अनु०जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)।
- 3— यह कि मेरे माता/पिता (माता/पिता की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक) की समस्त श्रोतों से समस्त वार्षिक
आय दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)।
- 4— यह कि सम्प्रति मैं आई०ई०आर०टी० में _____ (ब्रान्च का नाम) पाठ्यक्रम में
_____ (प्रथम/द्वितीय/अन्तिम वर्ष) में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था
ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है।
- 5— यह कि मैंने पिछली परीक्षा _____ वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बन्ध में अलग से घोषणा पत्र औचित
सहित प्रस्तुत है।
- 6— यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
- 7— यह कि मेरा बचत खाता संख्या _____ बैंक _____
ब्रान्च _____ में खुला हुआ है।
- 8— यह कि संस्थान द्वारा मुझे निःशुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 8 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं, इसमें कोई भी
तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर _____
नाम _____
पिता/पति का नाम _____
पता _____

छात्र/छात्रा के माता-पिता (यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक) द्वारा देय शपथपत्र
(सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)

समझ

निदेशक,
आई0ई0आर0टी0,
इलाहाबाद।
मैं श्री/ श्रीमती ——————

पिता/माता श्री/कु0 ——————

शपथपूर्वक

निवासी ——————

निम्नलिखित बयान करता हूँ—

- 1— यह कि मेरी समस्त श्रोतों से समस्त वार्षिक आय रु0 —————— है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण संलग्न है।
- 2— यह कि मेरे पाल्य श्री/कु0 —————— के आवेदन पत्र में संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गयी समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है।
- 3— यह कि यदि किसी भी प्रकार की जाँच में यहद आय गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा।
- 4— यह कि यदि आवेदन पत्र में संलग्न आय, जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूँगा। यदि ऐसा करने में असफल होता हूँ तो विभाग मेरे द्वारा देय राशि की राजस्व देयों की भौति वसूली करने हेतु एवं मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उक्त शपथ पत्र में धारा लगायत 1 से 4 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी जानकारी में हैं, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

छात्र/छात्रा के पिता के हस्ताक्षर ——————

नाम ——————
पता ——————

दिनांक:—

छात्र/छात्रा के माता-पिता (यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक) द्वारा देय शपथपत्र
(सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)

समझ

निदेशक,
आई0ई0आर0टी0,
इलाहाबाद।
मैं श्री/ श्रीमती ——————

पिता/माता श्री/कु0 ——————

शपथपूर्वक

निवासी ——————

निम्नलिखित बयान करता हूँ—

- 1— यह कि मेरी समस्त श्रोतों से समस्त वार्षिक आय रु0 —————— है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण संलग्न है।
- 2— यह कि मेरे पाल्य श्री/कु0 —————— के आवेदन पत्र में संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गयी समस्त स्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है।
- 3— यह कि यदि किसी भी प्रकार की जाँच में यहद आय गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा।
- 4— यह कि यदि आवेदन पत्र में संलग्न आय, जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूँगा। यदि ऐसा करने में असफल होता हूँ तो विभाग मेरे द्वारा देय राशि की राजस्व देयों की भौति वसूली करने हेतु एवं मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उक्त शपथ पत्र में धारा लगायत 1 से 4 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी जानकारी में हैं, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

छात्र/छात्रा के पिता के हस्ताक्षर ——————

नाम ——————
पता ——————

दिनांक:—

छात्र/छात्रा एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र
 (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक _____ को

- (1) श्री/कुमार _____ आयु _____ वर्ष पुत्र/पुत्री श्री _____ जिसे एततपश्चात् प्रथम
 जाति _____ निवासी _____ पक्ष कहा गया है।
 2- निदेशक, आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत
 विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसे एततपश्चात् द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया
 जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजना संचालित
 है, जिसकी पात्रता सम्बन्धी शर्तें आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियमावली 2014 में उल्लिखित
 है, उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं-

- 1- द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संरथान में निःशुल्क प्रवेश डत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित
 जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक संशोधित नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
 2- प्रथम पक्ष संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने के निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं
 शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा
 नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
 3- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न
 करायेगा।
 4- द्वितीय पक्ष को शुल्क प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रथम पक्ष से संस्था द्वारा एक डेविट एथारिटी लेटर
 हस्ताक्षरित कराया जायेगा ताकि इस डेविट एथारिटी लेटर के आधार पर प्रथम पक्ष (छात्र) के बैंक एकाउन्ट से
 धनराशि शिक्षण संस्था के एकाउन्ट में अन्तरित की जा सके।
 5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन
 करेगा।
 6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो
 भी हो में प्रतिभाग करेगा।
 7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक
 नियमावली 2014 की व्यवस्थानुसार सम्बन्धी यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी
 स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 पिता का नाम.....
 पता.....

साक्षी न0-1
 हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 पता.....

द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर.....
 नाम व पद नाम.....
 आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद।

साक्षी न0-2
 हस्ताक्षर.....
 नाम व पद नाम.....
 आई0 ई0 आर0 टी0, इलाहाबाद।